

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

अनौपचारिक
रूप से
परामर्शित

प्रेषक,

अजय कुमार सिंह,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०),
झारखण्ड, रांची।

द्वारा- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

रांची, दिनांक:- 04/10/2018

विषय: वित्तीय वर्ष 2018-19 में झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार अन्तर्गत Repairing & Replacement work at different location योजना हेतु कुल राशि रु० 1,27,17,000/- (एक करोड़ सताईस लाख सत्रह हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि उपायुक्त, धनबाद की अध्यक्षता में झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद की योजनाओं के चयन हेतु गठित चयन समिति द्वारा दिनांक-01.10.2018 को झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार अन्तर्गत Repairing & Replacement work at different location का चयन किया गया है।

2. उक्त योजना हेतु तैयार विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन पर तकनीकी सदस्य, झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद के स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त प्राक्कलन की राशि रु० 1,27,17,000/- (एक करोड़ सताईस लाख सत्रह हजार रुपये) मात्र की योजना पर वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. मुख्य अभियंता, धनबाद नगर निगम द्वारा उक्त योजना की निम्नवत् तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी है :-

Repairing & Replacement work at different location of JMADA		
RECAP		
Sl. No.	Description of Items	Estimate Value
1	Repairing of Rising main from Jamadoba to Jharia (Leakages)	10.14
2	Jamadoba to Putki pipe line repairing 18" & 24" Dia (Leakages)	3.34
3	Tetulmari to Katras pipe pure wter pipe line valve replacement	25.68
4	Replacement of Filter bed valves at Topchachi	3.99
5	Repairing of conduit line from Topchanchi to Srirampur at 15 location	11.11
6	Repairing of valve at various location	54.15
7	Total net cost	108.41
8	Add 1% Labour cess	1.08
9	Add 1/2% Contingencies Charge	0.54
	Add for GST 12%	13.01
10	Add for Consultancy Charges 1.75%	1.90
11	Add for Project Management Charges 2.05%	2.22
12	Grand Total	127.17

4. प्रबंध निदेशक, माडा द्वारा उक्त योजना का कार्यान्वयन बाजार फीस मद में नगरीय सुविधाएँ, अवसंरचनाओं और विपणन सुविधाएँ हेतु प्राधिकार के पी०एल० खाते में संधारित राशि से किया जायेगा।

5. योजना का कार्यान्वयन झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद द्वारा खुली प्रतिस्पर्धी निविदा के माध्यम से ससमय सुनिश्चित कराया जायेगा।
6. योजनाओं का कार्यान्वयन तकनीकी स्वीकृत प्राक्कलन के आधार पर गुणवत्तापूर्ण ढंग से निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए कराया जायेगा, जिसके लिए प्रबंध निदेशक, झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होंगे।
7. भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को इससे संबंधित पुस्तकों/पंजियों की जांच-पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।
8. इस पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन

(अजय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-01/माडा-23/2018 न०वि०आ०.....116.....

राँची, दिनांक.....24/10/18.....

प्रतिलिपि-अपर मुख्य सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रमण्डलीय आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर/उपायुक्त, धनबाद/बोकारो/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, नगर विकास एवं आवास विभाग/स्थानीय लेखा परीक्षक, महालेखाकार कार्यालय, राँची/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद/कोषागार पदाधिकारी, धनबाद कोषागार/श्री कुणाल कुमार, आई०टी०विशेषज्ञ को सूचना एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अजय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव।